

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....413 / 2016..... जिलाश्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स संजय कुमार राजकुमार, जैतसर
बनाम

- (1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर
- (2) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सूरतगढ़.


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज खण्डपीठ <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03 / 03 / 2016	<p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना—पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना—पत्र संख्या 79 / 2015—16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.01.2016 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्—सूरतगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2012—13 के लिये वेट अधिनियम की धारा 18, 24, 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 29.06.2015 से सृजित/वसूलनीय मांग राशि रूपये 13,18,406/- की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना—पत्र को अस्वीकार किया है।</p> <p>अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना—पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक एवं विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस.बी. वैट रिविजन पिटिशन नं० 135 / 2013 ब्रिजलाल पवन कुमार हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 3.9.2014 एवं एस.बी. वैट रिविजन पिटिशन नं० 47 / 2014 मैसर्स ज्योति कॉटन इण्डस्ट्रीज संगरिया, हनुमानगढ़ बनाम सहायक आयुक्त, वृत—बी, हनुमानगढ़ में पारित स्थगन आदेश दिनांक 13.05.2014 की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रकरण के समान तथ्यों पर आधारित मांग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है। अतः प्रकरण में वसूली योग्य राशि पर स्थगन आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना—पत्र का विरोध करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।</p>	लगातार 2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....413/2016..... जिलाश्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स संजय कुमार राजकुमार, जैतसर
बनाम

- (1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर
- (2) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सूरतगढ़.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज — 2 —	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/03/2016	<p>उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्ट्या प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, प्रकरण में बकाया शेष राशि रूपये 13,18,406/- की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।</p> <p>उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य 2016 राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	